डीजी परिपत्र संख्या - 78 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 14,2015

विषय :सदर मालखाना एवं थानों के मालखानों के माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के जनपदों में स्थापित सदर मालखाना एवं जनपद के थानों में काफी संख्या में अत्यधिक पुराने माल काफी समय से निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं। ऐसे भी कतिपय माल हैं, जिनके मुकदमों का निस्तारण हो चुका है, उनका थानों/मालखानों में पड़ा होना कतई उचित नही है।

आप अवगत हैं कि मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर विस्तृत दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वांकित में अंकित है।

डीजी परिपत्र सं0-35/2000 दि0 18.10.2000
डीजी-परिपत्र सं0-44/2005 दि0 06.09.2005
डीजी परिपत्र सं0-61/2014 दि0 29.09.2014

ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का भी आप के स्तर से भली-भाँति अनुपालन नहीं कराया जा रहा हैं। थानों एवं सदर मालखानों में मालों के अकारण भारी संख्या में पड़े रहने से मालखानों में स्थान की कमी के कारण अन्य मुकदमाती माल का सुरक्षित रखा जाना भी कठिन हो जाता है।

आप अवगत होगें कि मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-14 में **"थानों के मालखानों में रखी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने, नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं उनके निस्तारण हेतु व्यवस्था"** वर्णित की गयी है एवं **धारा 451 एवं 457 द0प्र0सं0** के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मालों के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

मैं चाहूँगा कि इस परिपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं मुख्यालय स्तर से पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्गत परिपत्रों का आप गम्भीरता से अध्ययन कर लें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों/क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों को मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में गोष्ठी कर यह अवगत करा दें कि मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में अभियोजन निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे अभियान में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करें और निस्तारण योग्य मालों का नियमानुसार निस्तारण करायें।

भवदीय

15/12/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।